प्रतिवेदन

(C)

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आय और उत्पादन रोजगार अवसरों के अधिक मात्रा में सृजन

परियोजना का नाम	:–	**प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में मरोडा से वनाली मोटर मार्ग के कि0मी0 3 से कुण्ड (8.125 कि0मी0)के नव निर्माण हेतु वन भूमी हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

एंव स्थायी रूप से गरीबी निवारण करने के उद्देश्य से पर्वतीय क्षेत्र में 250 से अधिक आवादी वाले असंयोजित बसावटों को किसी भी बारहमासी सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का कार्यक्रम संचालित किया गया हैं। उक्त के क्रम में सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखंड शासन के पत्रांक :–1702 / पी03–14 / यू0आर0आर0डी0ए0 / 14 दिनाक 29 नवम्बर 2014 उत्तराखंड शासन द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग प्रधान मन्त्री ग्राम सड़क योजना के फेज –X के अन्तर्गत अनुमोदित किया गया हैं। (शासनादेश की फोटो प्रति संलग्न है)

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बसावट कुण्ड (Pop-256) की आवादी अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुडा है। उन्नत कृषि भूमि होने के कारण क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है, परन्तु यातायात की सुविधा न होने से कास्तकारों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है साथ ही यातायात के साधन न होने से सरकार द्वारा घोषित विभिन्न विकास कार्य भी क्षेत्र में सुगमता पूर्वक संचालित नहीं हो पाते है। अन्य रोजगार के साधन न होने से बेरोजगार युवाओं का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। मोटर मार्ग निर्माण हो जाने से जहां युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगे, वहीं सरकार की विकास योजनायें भी सुगमता से संचालित हो सकेंगी।

उल्लेखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्र में कास्तकारों की नाप भूमि के अतिरिक्त समस्त प्रकार की भूमि को वन भूमि श्रेणी में ले लिया गया है। इस मार्ग के संरेखण में नाप भूमि **0.7020** है0, सिविल सोयम भूमि **0.5740** है0 एवं वन पंचायत भूमि **0.3150** है0, प्रभावित हो रही है जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है, एवं आरक्षित वनभूमि **4.2525** है, जिसका भूमि हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 संरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न इन्डैक्स मानचित्र में अलग–अलग रंग से दर्शाया गया है।

संरेखण नं0 1 :– के अनुसार यह मोटर मार्ग जनपद टिहरी गढ़वाल में विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत यह मार्ग पूर्व निर्मित मरोडा से वनाली मोटर मार्ग के 3 कि0मी0 से प्रारम्भ होता है। तथा ल0 8.125 कि0मी0 है, इस संरेखण में 2 हेयर पिन बैण्ड प्रस्तावित हैं। इस संरेखण मे आरक्षित भूमि के अतिरिक्त बीच– बीच में सिविल एवं नाप भूमि आती है, इस संरेखण में मोटर मार्ग निर्माण करने में वृक्ष प्रभावित कम होते है तकनिकी दृष्टि एवं मानकों के अनुसार सही ग्रेड मिलता है एवं अधिक से अधिक आवादी लाभान्वित होती है। इसके अनुसार मोटर मार्ग की लम्बाई भी कम आती है। इस संरेखण के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में गांमवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत है।

संरेखण नं0 2 :– के अनुसार यह मोटर मार्ग जनपद टिहरी गढ़वाल में विकासखण्ड जौनपुर के अन्तर्गत यह मार्ग पूर्व निर्मित मरोडा बनाली मोटर मार्ग के कि0मी0 3.00 से प्रारम्भ होता है। तथा ल0 8.125 कि0मी0 है। इस समरेखण से स्थानीय जनता असहमत है, चूंकि समरेखण की ल0 अधिक है, इस समरेखण में वन भूमि, नाप भूमि, सिविल भूमि की भी अधिकता है जिस कारण भी स्थानीय जनता असहमत। अत: तकनिकी दृष्टि एवं मानकों के अनुसार सही ग्रेड नहीं मिलता है इस संरेखण के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में गांमवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत नहीं है।

उक्त को ध्यान में रखते हुए संरेखण **नं0 2** को निरस्त कर संरेखण **नं0 1** को अनुमोदित किया जाता है। इन दोनों का संरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा संरेखण **नं01** को मार्ग निर्माण हेतु तकनिकी, पर्यावरणीय एंव भूमर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न है) अत: **8.125 कि0मी0** लम्बाई में ग्राम्य विकास विभाग के मानकों के अनुसार 7 मीटर चौडाई में आने वाली **0.5740** है0 सिविल सोयम , वन पंचायत भूमि **0.3150** है0 एवं आरक्षितवन भूमि **4.2525** है0 **कुल 5.1415 है0** प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) को हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

कनिष्ट अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी	सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी	अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, खण्ड सिंचाई–२ नई टिहरी

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

प्रपत्र 11

(28)

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के जौनपुर विकास खण्ड में प्रधानमत्री ग्रामीण सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर-कुमाल्डा-कद्दूखाल मोटर मार्ग (लम्बाई 8.125 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मार्ग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।

Presently the villagers (01 number of villagers Kund with a total population of 256) have to walk through a distance of 7- 8 km to meet their daily needs ,as there is no road connecting the village.Due to the non-existing of any road connectivity ,the lives of the villagers are in constant danger as there are no medical services which could be provided to them even in cases of emergency such as maternity.

Further , due to non existent of the road connectivity the area remains backward in all respects.The main occupation of the villagers residing in this village is animal husbandry and aggriculture.The villagers are forced to carry their cultivated crops such as Haldi,Adrak,Mirch,Lehsoon,Dhan,Aaloo Etc.on their feet or by mules to the near by market.

If the road connectivity is provided to the villagers it shall enhance the social and economical developement of this area and migration of the people from the village shall be minimized.The forest land area falling in the proposed aligement of the road witch is about **5.8435** Hectare has been surveyed to the minimum and also the aligement of the road has been proposed in such a manner that there shall be a minimum of tree falling . **Other than the proposed aligement for the road,there is no such aligement which shall reduce the diversion of forest area or falling of trees**. The overall width proposed for acquiring of the land is 7.00 mtr and the construction of the road shall be carried out in a width of 6.00 in straight reaches. The Geological investigation along the proposed aligement has been carried out wich also states that the proposed aligement of the road is safe for the construction .There are no graveyards,religious,historical/monumental or legendary places falling in the proposed aligement of the road.

In view of the above facts and public intrest ,it is requsted that the forest land area of **5.1415 Hectare** may kindly be diverted for the construction of the road.

कनिष्ठ अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
खण्ड सिंचाई - 2 नई टिहरी

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
खण्ड सिंचाई - 2 नई टिहरी

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
खण्ड सिंचाई - 2 नई टिहरी

C/S

प्रभागीय वनाधिकारी